न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 160/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 14.09.2020
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामस्वरूप आत्मज स्व0 श्री राम गोपाल जाति किराड़ निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

...अपीलान्ट

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा जरिये अध्यक्ष श्रीमती गोस्वामिनी रेणुका बहु जी धर्मपत्नी श्री बृज रमणलाल जी महाराज, निवासी छोटे मदन मोहन जी की हवेली, बंगाली घाट, मथुरा
2. ग्राम पंचायत कुराड़िया खुर्द जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

...रेस्पो0

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ★ कोटा ★

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार रेस्पो0 क्र. 3

::निर्णय::

दिनांक 27.03.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा मूर्ति मंदिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा जर्ये अध्यक्ष श्रीमती गोस्वामिनी रेणुका बहुजी बनाम रामस्वरूप वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र0 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत कुराडियाखुर्द के इन्तकाल संख्या 379 आदेश 12.05.2011 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर उक्त इंतकाल दिनांक 12.05.20211 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 18.02.2020 पारित किया गया तथा तहसीलदार सांगोद को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

27/3/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

2 अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण मूति मंदिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा जर्ये अध्यक्ष श्रीमती गोस्वामिनी रेणुका बहुजी बनाम रामस्वरूप वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2020 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून, न्याय एंव तथ्यों के सर्वथा के सर्वथा विपरीत है। विचारण न्यायालय ने ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर मिन 308 पश्चिम तरफ की 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा आराजी जिसके वर्तमान सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 814 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 815/1 रकबा 1.54 है0 जुमला 2 किता की 1.62 है0 भूमि रकबा कायम हुआ है, के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 12.05.2011 ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद सही रूप से नियमानुसार तस्दीक किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाकर उक्त नामान्तरकरण को खारिज फरमाकर प्रकरण तहसीलदार सांगोद को (रिमाण्ड) प्रतिप्रेषित फरमाने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि अपील विषयक आराजियात रेस्पो० नं0 1 मूर्ति मन्दिर श्री छोटे महा प्रभु जी विराजमान कोटा के खाते में दर्ज नहीं थी। रेस्पो० नं० 1 नामान्तरकरण जेर अपील से व्यथित पक्षकार (एग्रीव्ड परसन) नहीं थे तथा उन्हे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार धारा 96 सीपीसी के तहत प्रा०पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद बाबत हक घोषणा, खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.4.2011 को खारिज फरमा दिया गया था। जिसकी रेस्पो० नं० 1 को एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय को भी जानकारी थी। इसके उपरान्त भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमा कर अपीलान्ट के पक्ष में किये गये नामान्तरकरण सं0 379 दिनांक 12.5.2011 ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद को खारिज फरमाने में त्रुटि की है। पूर्व खातेदारान विक्रेता भंवरलाल, बंशीलाल, मांगीलाल पिसरान लक्ष्मीनारायण एवं लक्ष्मीनारायण आत्मज औंकार जाति माली निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ने दिनांक 12.10.2001 को अपीलांट से विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण राशि 3,00,000/– रूपये अक्षरे तीन लाख रूपये प्राप्त कर अपीलांट को उपरोक्त भूमि खसरा सं0 मिन 308 (पश्चिम तरफ की) 20 बीघा 3 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र बैचान कर कब्जा सम्भला दिया था। वक्त खरीद से ही अपीलान्ट उपरोक्त भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है व वर्तमान में भी काबिज है। वर्तमान सेटलमेन्ट में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 814/2 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 815/1 रकबा 1.54 हेक्टर जुमला 2 किता की 1.62 है0 रकबा कायम हुआ है। उपरोक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के खाते दर्ज हो चुकी है। रेस्पो० नं0 1 ने अपीलान्ट के विरूद्ध उपरोक्त भूमि के पंजीकृत विक्रय पत्र को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किये जाने का दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उक्त वाद की अग्रिम कार्यवाही धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्थगित की गई थी, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। रेस्पो० नं0 1 मूर्ति मन्दिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है अतः श्रीमती रेणुका बहुजी को मन्दिर की ओर से अपील करने का कोई अधिकार नहीं था इस आधार

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

पर श्रीमती रेणुका बहुजी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य थी। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार फरमा कर हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पो० नं0 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतः अवधि बाधित थी। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी (डिले) को कन्डोन किये बिना ही मियाद के बिन्दू को निर्णित किये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णित फरमाकर स्वीकार फरमाने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेर अपील अपीलान्ट (प्रथम अपीलीय न्यायालय के रेस्पो० नं० 1) की अनुपस्थिती में उनकी बहस सुने बिना ही पारित किया है। दिनांक 22.3.2020 से कोविड़–19 के कारण लॉक ड़ाउन रहने से अपीलान्ट अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सका था। लॉक डाउन हटने के बाद दिनांक 22.7.2020 को अपीलान्ट अपने अभिभाषक के पास उक्त अपील की तारीख मालूम करने गया तो न्यायालय से मालूमात कर बतलाया कि उक्त अपील दिनांक 18.2.2020 को स्वीकार कर ली गई थी। दिनांक 22.7.2020 से पूर्व अपीलान्ट को हुक्म जेर अपील के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकार दिनांक 22.7.2020 को अपीलान्ट को हुक्म जेर अपील के बाबत सर्वप्रथम जानकारी होने पर अपीलान्ट ने दिनांक 22.7.2020 को हुक्म जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये उसी दिन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अपीलान्ट को दिनांक 30.7.2020 को प्राप्त हुई, हुक्म जेर अपील की सर्व प्रथम जानकारी की तारीख 22.7.2020 से हुक्म जेरअपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे एंव अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया नामांतरकरण सं0 379 दिनांक 12.05.2011 ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा को यथावत कायम रखा जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। रेस्पो0 1 की तलवी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील में रेस्पो0 1 के द्वारा अंकित किये गये पते पर ही रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 18.07.2024 को जारी किये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर तामील पूर्ण मानते हुए प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकण खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त विरूद्ध है। नामांतरकरण सं0 379 रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर खोला गया था। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को चैलेंज नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का प्रथम स्तर पर मियाद के बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। मियाद के बिन्दु पर निर्णय किये बिना गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित तथा विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अति/सं/आयुक्त
कोटा

दिनांक 22.3.2020 से कोविड़–19 के कारण अपील इस न्यायालय में पेश करने में विलम्ब हुआ है। लॉक डाउन हटने के बाद दिनांक 22.7.2020 को अपीलान्ट अपने अभिभाषक के पास उक्त अपील की तारीख मालूम करने गया तो न्यायालय से मालूमात कर बतलाया कि उक्त अपील दिनांक 18.2.2020 को स्वीकार कर ली गई थी। दिनांक 22.7.2020 से पूर्व अपीलान्ट को हुक्म जेर अपील के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे एंव अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया नामांतरकरण सं0 379 दिनांक 12.05.2011 ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा को यथावत कायम रखा जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2023(1) Page No 576 Chaturbhuj vs. Ranglal** पेश किये।

5 प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षकारान को सुना जाना उचित प्रकट होता है। अपीलांट का अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में प्रार्थना–पत्र धारा 5 के साथ अपील पेश कर कथन किया गया है कि दिनांक 22.3.2020 से कोविड़–19 के कारण अपील इस न्यायालय में पेश करने में विलम्ब हुआ है। लॉक डाउन हटने के बाद दिनांक 22.7.2020 को अपीलान्ट अपने अभिभाषक के पास उक्त अपील की तारीख मालूम करने गया तो न्यायालय से मालूमात कर बतलाया कि उक्त अपील दिनांक 18.2.2020 को स्वीकार कर ली गई थी। दिनांक 22.7.2020 से पूर्व अपीलान्ट को हुक्म जेर अपील के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। इस संबंध में **SCI SUO Motu Writ Petition 3 OF 2020 10.01.2022** अनुसार स्पष्ट किया गया है कि ***"In cases where the limitation would have expired during the period between 15.03.2020 till 28.02.2022, notwithstanding the actual balance period of limitation remaining, all persons shall have a limitation period of 90 days from 01.03.2022 is greater than 90 days, that longer period shall apply"***

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत अपील प्रकरण का अपील में विलम्ब का क्षम्य किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक प्रकट होता है।

6 प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 2012 में अपील प्रस्तुत की गयी, जो असाधारण विलम्ब प्रकट नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 क्र.1 की ओर से प्रस्तुत पूर्व नकल सेटलमेंट जमाबंदी 2015–27 अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद की खसरा सं0 308 रकबा 60 बीघा 17 बिस्वा, जिसके हाल खसरा सं0 814/2 रकबा 0.08 है0 एवं खसरा सं0 815/1 रकबा 1.54 है0 एवं अन्य हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 के द्वारा कथन किया गया है कि खसरा सं 308 रकबा 60 बीघा 17 बिस्वा ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद में से आराजी खसरा सं0 60 बीघा 9 बिस्वा अमल्या पुत्र काशीराम माली के अवैध कब्जे में दर्ज थी, जिसकी मृत्यु होने के उपरांत उसके स्थान पर उसके

वारिसों के नाम अंकित कर इंतकाल संख्या 21 दिनांक 10.01.1963 खोला गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचनात्मक निर्णय होना प्रकट नहीं होता। निर्णय **Speaking Order** की श्रेणी में नहीं प्रकट होता। अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से नामांतरकरण खोलना प्रकट होता है। अपीलांट को विक्रय पत्र रेस्पोडेण्ट द्वारा लिखित नहीं होकर अन्य व्यक्तियों द्वारा कराया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के प्रथम पैरा अनुसार मूर्ति मंदिर के नाम से आराजी अमल्या पुत्र काशीराम माली के दिनांक 10.01.1963 के इन्तकाल से हस्तांतरित होना प्रकट होता है। तत्पश्चात् भूमि का हस्तांतररण अन्य व्यक्तियों को विक्रय/विरासतन होता रहा है। रेस्पोडेण्ट द्वारा नामांतरकरण सं0 21 दिनांक 10.01.1963 के विरूद्ध चाराजोही करना पत्रावली पर प्रकट नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रेस्पोडेण्ट इस नामान्तरकरण से किस प्रकार व्यथित है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विवेचनात्मक निर्णय नहीं होने से पुनः विवेचनात्मक एवं तर्कसंगत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। लिहाजा प्रश्नगत आराजी के संबंध में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद का निर्णय दिनांक 18.02.2020 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः विवेचन कर तर्कसंगत एवं विधिसम्वत निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/3/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा